आदेश

13/9/2002 अंचल अधिकारी, गिरिडीह के नामान्तरण वाद सं0 20/99-2000 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया । अपील वाद के अंगीकृत करने के लिए सुनवाई के पश्चात इसे अंगीकृत किया । इस वाद में अमृत महतो पिता स्व0 भानु महतो मौजा पिंडराटांड़ थाना गिरिडीह मु0 अपीलार्थी हैं और हीरा लाल महतो पिता डेंगो महतो प्रतिपक्षी हैं । इस वाद में प्रश्नगत भूमि सम्बन्ध रखता है जो निम्न प्रकार है :-

ग्राम	खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा
पिंडराटांड़	24	354	0.2 डी0
	,,	355	0.1$\frac{3}{5}$ डी0
		कुल	0.3$\frac{3}{5}$ ए0

से संबंधित है ।

इस वाद में विभिन्न तिथियों को दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया । नोटिस के आधार पर विभिन्न तिथियों में इसकी सुनवाई की गई तथा अंचल अधिकारी से निम्न न्यायालय का अभिलेख मांगा गया । कई स्मार के पश्चात निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी गिरिडीह से प्राप्त हुआ ।

इस वाद में विपक्षी बहुत से तिथि को अनुपस्थित पाये गये । अंत में इस वाद की सुनवाई दिनांक 19-1-2001 को किया गया । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मौजा पिंडरावाद की संबंधित भूमि खतियान रैयत जयराम महतो के नाम दर्ज है । 1- डेंगो महतो 2- बालको महतो । डेंगो महतो के तीन पुत्र हरिलाल, तालेवर और जोधन महतो हैं । इस वाद में विवादग्रस्त जमीन प्लौट नं0 354 खतियानी रकबा 4 डी0 मध्ये 2 डी0 बिक्री किया गया एवं प्लौट नं0 355 4 डी0 मध्ये 1$\frac{3}{5}$ डी0 तालेवर महतो ने बिक्री किया है ।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हिस्सा के अनुसार तालेवर महतो ने जमीन बिक्री नहीं किया है । उन्होंने ट्रान्सफर औफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 44 का जिक्र किया ।

निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया गया । अंचल अधिकारी गिरिडीह ने लिखा है कि बिक्रेता ने अपने हिस्से से अधिक जमीन बिक्री किया है तथा क्रेता को संबंधित भूमि में दखल कब्जा भी नहीं है । ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी गिरिडीह के अभिलेख सं0 20/99-2000 में पारित [illegible] का कहना है क्योंकि अपीलार्थी अमृत महतो पिता भानु महतो

13/9/02

(16)

ग्राम पिंडरावाद के आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है ।

13/9/2002

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह ।

हस्ताक्षरित

13/9/2002

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह ।